

Full Title of the Project: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

Date of Proposal: 01/09/2021

प्रारूप-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे० वन भूमि प्रभावित है। परियोजना की कुल लम्बाई 20.600 कि०मी० है।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रु० 892.44 करोड़
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना स्वीकृत की गयी है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 5.000 से कि०मी० 5.250, कि०मी० 5.300 से कि०मी० 5.420, 5.640 से कि०मी० 6.180, 10.140 से कि०मी० 18.030 एवं कि०मी० 18.500 से कि०मी० 18.630 भाग वन भूमि से गुजरता है। यह मार्ग जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को ऋषिकेश एवं देहरादून को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन हमेशा बना रहता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) पर आने वाले ट्रैफिक में वाहनों की संख्या डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 5.400 तक कुल 15,000 पी०सी०यू०, कि.मी. 5.400 से कि.मी. 9.700 तक कुल 17,000 पी०सी०यू०, कि.मी. 9.700 से कि.मी. 18.870 तक कुल 15,000 पी०सी०यू० है। डिजाईन कि०मी० 9.700 से कि०मी० 18.030 भाग में हाथियों का अवागमन अत्यधिक होने व ट्रैफिक में वाहनों की संख्या भी अधिक होने एवं सड़क चौड़ाई कम होने के कारण सड़क पर वाहन जाम में खड़े रहते हैं। जिससे जनमानस को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तथा राष्ट्र को आर्थिक क्षति पहुंचती है। डिजाईन कि.मी. 0.800 से कि.मी. 9.700 तक पहले से ही चार लेन बना हुआ है लेकिन यह राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक के अनुसार नहीं बना हुआ है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी.



		20.600 तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, पहले से चार लेन बने खण्ड को राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक के अनुसार सुधार कार्य, हाथियों के एक तरफ से दूसरे तरफ आवागमन के लिये हाथी गलियारे व सात मोड़ों के वक्र सुधार कार्य होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी कार्यों के लिये वन भूमि की आवश्यकता अनिवार्य है। अतः वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः सड़क के चौड़ीकरण हेतु वन भूमि की आवश्यकता अनिवार्य है।		
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	एम.ओ.ई.एफ. के दिशा निर्देश संख्या 7-69/2011-एफसी (पीटी) दिनांक 01 अगस्त 2017 के अनुसार इस प्रस्ताव के लिए लागत लाभ विश्लेषण लागू नहीं है।		
	च) रोजगार जिन के पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य से लगभग 200 लोगों को 624 कार्य दिवस तक) को स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।		
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य वार विवरण:	सड़क निर्माण एवं भूस्खलन उपचार (है०)	मलबा निस्तारण (है०)	कुल वन भूमि (है०)
		19.8345	0.0000	19.8345
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है			
	क) परिवारों की संख्या	0		
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।		
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं।		
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जुरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)	नहीं।		
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।		
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	सूची संलग्न है जिसमें समस्त विवरण उपलब्ध है।		

दिनांक :-

स्थान :- देहरादून


पंकज कुमार मौर्य
महाप्रबंधक (तकनीकी)
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 पी.आई.यू., वसन्त विहार,
 देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वाराभरा जाएगा)

